छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन)अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (एक) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा।
   (दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

धारा 16 का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 16 की उप-धारा (4) के खंड (क), (ख) एवं (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(4) (क) जिस दिन उप-धारा (1) या उप-धारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान किये जाने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी, आवेदक को विहित प्रारूप में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(ख) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के जारी करने के पश्चात् आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के संबंध में आवश्यक साक्ष्य तथा दस्तावेज जिसमें कारोबार से संबंधित लेखायें भी होंगी, सत्यापन के लिये अपने समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदक से अपेक्षा करेगा। साक्ष्य, दस्तावेज तथा लेखाओं के प्रस्तुत हो जाने पर, आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा। विशिष्टियों के सही होने के संबंध में समाधान हो जाने पर, आयुक्त, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो पंद्रह दिवस के बाद की न हो, आवेदक को विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(ग) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के सत्यापन होने के पश्चात् यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है, तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन नामंजूर करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो पन्द्रह दिवस के बाद की न हो, आवेदक को जारी किया गया अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी किये जाने की तारीख से रद्द करेगा।"

धारा 19 का संशोधन

3 मूल अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (तीन) में, प्रविष्टि कमांक (3) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात्:–

"(4) यदि कोई व्यापारी, ऐसे देय कर की राशि जो शोध्य हो गया था, का भुगतान अगामी बर्ष की प्रथम तिमाही के विवरण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व करने में विफल रहता है, तो ऐसी तारीख से उप–खंड (तीन) की प्रविष्टि कमांक (3) के अधीन भुगतान योग्य ब्याज के अतिरिक्त 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने के लिये दायी होगा।"

धारा 41 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (2) में शब्द "चालीस लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 48 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(एक) उप–धारा (1) की अंतिम पंक्ति में शब्द "ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील," के पश्चात् शब्द "जो धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अपर आयुक्त को तथा धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील," अंतःस्थापित किये जाएं।

(दो) उप–धारा (4), (5), (6) तथा (7) में, जहां कहीं शब्द "अपीलीय उपायुक्त" आया हो उसके पूर्व, शब्द "अपर आयुक्त या" जोड़ा जाए।

(तीन) उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा (5–क) जोड़ी जाए:–
"(5–क) जहां आयुक्त यह मानता है कि किसी अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित किया गया कोई आदेश, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो वह ऐसे आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकरण में अपील प्रस्तुत (फाइल) कर सकेगा"

धारा 49 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) में शब्द "अपीलीय उपायुक्त" के पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 50 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 50 में जहां कहीं शब्द "अपीलीय उपायुक्त" आया हो उसके पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंतःस्थापित किया जाए।

8. मूल अधिनियम की धारा 54 में जहां कहीं शब्द ''अपीलीय उपायुक्त'' आया हो, उसके पूर्व शब्द ''अपर आयुक्त या'' अंतःस्थापित किया जाए। — धारा 54 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 56 की उप–धारा (3) के खंड (क) में शब्द ''अपीलीय उपायुक्त'' के पश्चात् शब्द ''तथा अपर आयुक्त'' जोड़ा जाए। — धारा 56 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 71 में, — धारा 71 का संशोधन

(एक) उप–धारा (4) के खंड (क) में शब्द ''पांच सौ रूपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रूपये'' तथा शब्द ''पच्चीस रूपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक सौ रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (4) के खंड (ख) में शब्द ''पांच सौ रूपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाए।

CHHATTISGARH ACT

(No. 13 of 2011)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2011.

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the sixty-second year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 16.

2. For clause (a), (b) and (c) of sub-section (4) of Section 16 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clause shall be substituted, namely:-

" (4) (a) On the day the application for grant of a registration certificate as required by sub-section (1) or sub-section (2) is received, the said authority shall grant the applicant a provisional registration certificate in the prescribed form.

(b) After issue of the provisional registration certificate the Commissioner shall require the applicant to produce before him essential evidence and documents in respect of the particulars given in the application as also the accounts relating to

the business for verification. On production of the evidence, documents and accounts the Commissioner shall verify the particulars given in the application. On being satisfied about the correctness of the particulars, the Commissioner shall issue to the applicant a registration certificate in the prescribed form not later than fifteen days of the date of receipt of the application for grant of a registration certificate.

(c) If on verification of records produced by the applicant, the Commissioner is satisfied that the particulars given by the applicant in his application are incorrect or that the applicant has mis-represented certain facts, he shall, after giving the applicant an opportunity of being heard and recording the reasons in writing, reject the application and cancel the provisional registration certificate issued to the applicant from the date of its issue, not later than fifteen days of the date of receipt of the application."

Amendment of Section 19.

3. In sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19 of the Principal Act, after the entry number (3), the following entry shall be added, namely :-

"(4) If a dealer, fails to pay the amount of tax payable which had become due, before the date of filing return for the first quarter of the next year, be liable to pay 1 percent interest in addition to the interest payable under entry number (3) of sub-clause (iii) from such date,"

4. In sub-section (2) of Section 41, for the words "forty lac" the words "sixty lac" shall be substituted.

Amendment of Section 41.

5. In Section 48 of the Principal Act,-

Amendment of Section 48.

(i) In the last line of sub-section (1), after the words "Appeal against such order to the" the words " Additional Commissioner, where such order is passed by any officer specified in clause (c) of sub-setion (1) of Section 3 and where such order is passed by an officer specified in clause (d), (e) and (f) of sub-section (1) of Section 3 to the " shall be inserted.

(ii) In sub-section (4), (5), (6) and (7) before the words "Appellate Deputy Commissioner" wherever they occur the words " Additional Commissioner or " shall be added.

(iii) After sub-section (5), the following sub-section (5-A) shall be inserted:-

" (5-A) Where the Commissioner considers that any order passed by any Additional Commissioner of Commercial Tax in so for as it is prejudicial to the interests of revenue he may file an appeal to the Tribunal within two years from date of such order."

6. In clause (a) of proviso of sub-section (1) of Section 49 of the Principal Act, before the words "Appellate Deputy Commissioner" the words "Additional Commissioner or" shall be inserted.

Amendment of Section 49.

7. In Section 50 of the Principal Act, before the words "Appellate Deputy Commissioner" wherever they occur the words "Additional

Amendment of Section 50.

Commissioner or" shall be inserted.

8. In Section 54 of the Principal Act, before the words "Appellate Deputy Commissioner" wherever they occur the words "Additional Commissioner or" shall be inserted

Amendment of Section 54.

9. In clause (a) of sub-section (3) of Section 56 of the Principal Act, after the words "Appellate Deputy Commissioner" the words "and Additional Commissioner" shall be added.

Amendment of Section 56.

10. In Section 71 of the Principal Act,-

Amendment of Section 71.

(i) In clause (a) of sub-section (4) for the words "five hudnred rupees" the words "ten thousand rupees" and for the words "twenty five rupees" the words " one hundred rupees" shall be substituted.

(ii) In clause (b) of sub-section (4), for the words "five hundred rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted.